फर्द अहकाम

नूरखां बनाम इमाम अली वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 145/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के साथ नोटिस की एक प्रति मय रजि० एक रसीद प्राप्त होकर शामिल मिसल किया। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक आर.डी./2024/84 दिनांक 22/2/24 द्वारा रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया P.O.W. [illegible] रजिस्टर्ड से प्राप्त होने पर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 11/3/24 को पेश हो। [signature]	
	11/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 19/3/24 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	19/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्ष की बहस को मनन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि प्रार्थी के द्वारा	

फर्द अहकाम

नूरखाँ बनाम ईमाम अली वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 145/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल.आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फ़ाइल किया जाता है। निर्णय आज खुले इजलास (सुनाया) गया। पत्रावली कैफियत मुताबिक होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
145 / 2023	28 / 08 / 2023	19 / 03 / 2024

1. नूरखां पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. इमामअली उर्फ नसरू पुत्र अल्लादीन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

2. ईशाक खां पुत्र सुल्तान
3. जीमल खां पुत्र आलम खां
4. धारासिंह पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर।
5. ज्वारी लाल पुत्र रामजीलाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर।
6. रामनिरंजन पुत्र राधामोहन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, जिला जयपुर राजस्थान ।

प्रारुपिक पक्षकार

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामस्वरूप शर्मा – वकील प्रार्थी।
श्री राजेश कुमार वर्मा – वकील अप्रार्थी 2, 5

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,132, 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा के यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं0 791 स्थित ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर में है जिनका दिनांक 25.12.2010 को तहसीलदार महोदय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प में स्वेछिक/सहमति से कब्जा अनुसार बटवारा किया गया था तथा बंटवारे के बाद प्रार्थी के खसरा नम्बर 791/1 तथा अप्रार्थी संख्या 1 को 791/2 व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को 791/3 कायम किये गये जिसके नामान्तरण संख्या 1443 दिनांक 31.12.2010 है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खसरा नं0 अलग–अलग कायम कर खाता विभाजन किया गया है जिसके बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने कब्जे अनुसार कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के सहमति से बटवारे के नामान्तकरण तो खेल दिया गया और उसमे खसरा नं0 भी 971/1, 971/2, 971/3 कायम किये गये लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में व नक्शे में अमल नही किया गया उसके बाद सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान 791 के नये नम्बर 933 कायम किये गये उसके बाद संवत् 2066 की जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 1443 के अनुसार खाता विभाजन कर खसरा नं0 933/1, 933/2, 933/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर सेग्रीकेशन आनलाईन करते समय 1593/933, 1594/933, 1595/933 राजस्व रिकार्ड व नक्शें में कायम किये गये थे जिसमे नक्शे

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

में तरमीम करते समय कब्जे के विपरीत नक्शा कायम कर दिया जबकि तकासमा जहा 791/1 दिया था वहा 1594/933 अंकित कर दिया और 791/2 की जगह 1593/933 कायम कर दिया जो कि तकासमें व कब्जे के विपरीत कर दिया। तकासमा होने के समय प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि का पटवारी द्वारा नक्शा अलग – अलग कायम किया गया था लेकिन हाल सेकरीकेशन में नक्शा कायम करते समय पटवारी हल्का ने भूलवश नक्शे में तरमीम प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1594/933 कायम कर दिया जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है और अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1593/933 कायम कर दिये जो प्रार्थी के नाम कर दिये जो गलत तरमीम कर दी जिससे कब्जे व तकासमें के विपरीत तरमीम हो गई जो खसरा नम्बर 1594/933 की जगह 1593/933 और 1593/933 की जगह 1594/933 कायम करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है इस कारण प्रार्थना पत्र पेश किया है। सेकरीकेशन में पटवार हल्का द्वारा की गई मौका एव कब्जा के विपरीत तरमीम को वादी माननीय न्यायालय से सीमा दुरूस्ती एवं सीमा घोषणा की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1593/933, 1594/933 स्थित ग्राम आंधी की भूमियों में राजस्व रिकार्ड तकासमें के अनुसार व कब्जे काश्त के अनुसार सीमा घोषणा करवाकर सीमा चिन्ह अंकित करवाने का अधिकारी है। पक्षकारों में मध्य गलत तरमीम का निस्तारण करने हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि खसरा नं0 1593/933, 1594/933 की राजस्व रिकार्ड मे हिस्से अनुसार मौके एवं कब्जे अनुसार हुये कब्जा व तकासमा शुदा नक्शे के अनुसार तरमीम व खसरा नम्बर 1593/933 की जगह 1594/933 व 1594/933 के जगह 1593/933 करते हुये नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। दिनांक 05.02.24 को अप्रार्थी सं0 1, 3, 4, 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 5 की ओर से वकील श्री राजेश कुमार वर्मा ने दिनांक 17.10.23 को वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश नही करने पर दिनांक 11.03.24 को जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 7 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /आरटी/2024/84 दिनांक 22.02.24 द्वारा जवाब पेश किया । जो शामिल मिसल है। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम आंधी के साबिक खसरा नम्बर 791 के नवीन खसरा नम्बर 933 कायम किये गये थे। साबिक खसरा नम्बर 791 का प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 में आपसी सहमति का विभाजन करवाया गया था। जिसका अमल जमाबन्दी मे नामान्तकरण संख्या 1443 के द्वारा किया गया। विभाजन के पश्चात नवीन जमाबन्दी बनाते समय खसरा नम्बर 933 में विभाजन का अमल करते हुये नवीन खसरा नम्बर 1593/933, 1594/933, 1595/933 कायम किये गयें। प्रार्थी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 मे कराये गये आपसी सहमति के विभाजन की प्रमाणित फोटो प्रति एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड का मिलान किया गया। मिलान के दौरान वर्तमान नक्शें में दर्ज खसरा नम्बर 1593/933, 1594/933 मे अन्तर पाया गया। उक्त दोनों खसरा नम्बर आपसी सहमति विभाजन के अनुसार कायम नही किया जाना ज्ञात हुआ। संलग्न नजरी नक्शें में आपसी सहमति अनुसार किये गये विभाजन के अनुसार खसरा नम्बर कायम कर नजरी नक्शें अनुसार शुद्व किया जाना उचित है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पैरोकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बरान 1593/933 व 1594/933 को मुताबिक रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खसरा नम्बर 1593/933 की जगह 1594/933 व 1594/933 की जगह 1593/933 करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़